विको लेबोरेटरीज व अन्य

बनाम

आर्ट कॉमर्सिया एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड व अन्य

13 अगस्त, 2001

[न्यायमूर्तिगण एस. राजेंद्र बाबू और वाई.के.सभरवाल]

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957-धारा 17-एक निर्माण कंपनी के लिए एक निश्चित राशि के लिए टेलीविजन धारावाहिक का निर्माण-निर्माण कंपनी द्वारा धारावाहिक में प्रतिलिप्याधिकार और इसके शीर्षक के स्वामित्व का दावा -का औचित्य-तथ्यों और अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दावा न्यायोचित नहीं है।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 136- अधीनस्थ अदालतों द्वारा साक्ष्य की प्रशंसा-कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है-इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता, जो आयुर्वेदिक औषधि उत्पादों के निर्माता हैं, उन्होंने प्रत्यर्थीगण 1 से 4 को दूरदर्शन के लिए एक टेलीविजन धारावाहिक बनाने के उद्देश्य से अपने विज्ञापन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया। प्रत्यर्थीगण ने एक निश्चित राशि के लिए याचिकाकर्ताओं के लिए 'ये जो है जिंदगी' नामक एक धारावाहिक का निर्माण किया किया। याचिकाकर्ताओं द्वारा इस धारावाहिक का उपयोग, अनन्य रूप से अपने उत्पादों का विज्ञापन करने के लिए किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने स्वयं के वास्तविक निर्माता होने और धारावाहिक के कॉपीराइट और शीर्षक को उपयोग करने के अनन्य अधिकार, के स्वामी होने का

दावा किया। धारावाहिक ने लोकप्रियता हासिल की और एपिसोड की संख्या को 27 से बढ़ाकर 52 करने का निर्णय लिया गया। प्रत्यर्थीगण ने प्रस्ताव दिया कि कुछ अन्य उत्पादों को प्रायोजन के लिए, धारावाहिक के साथ जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें प्रत्येक एपिसोड पर 50,000 रुरुपये से 75,000 रुपये तक का नुकसान हो रहा था। याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यर्थीगण को सूचित किया कि एपिसोड के निर्माण के लिए बढ़ी हुई लागत का भुगतान करना संभव नहीं है; कि धारावाहिक याचिकाकर्ताओं से जुड़ा है; और यदि वे किसी अन्य प्रायोजक को शामिल करना चाहते हैं, तो वे एक अलग शीर्षक के तहत, एक नए धारावाहिक का निर्माण कर सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने, यह आशंका होने के कारण कि प्रत्यर्थीगण नए प्रायोजकों के साथ सामान शीर्षक के तहत आगे के एपिसोड का निर्माण करने का इरादा रखते हैं, विचारण न्यायालय के समक्ष दावा, इस आशय की घोषणा के लिए कि वादग्रस्त धारावाहिक "ये जो है जिंदगी" का शीर्षक और प्रारूप अनन्य रूप से उनका था और प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 4 का उस पर कोई अधिकार नहीं है और इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा के लिए कि उक्त प्रत्यर्थीगण को पाबंद किया जाये कि वह याचिकाकर्ताओं से संबंधित शीर्षक या एपिसोड या उसके बाद बनाए गए किसी भी एपिसोड का उपयोग ना करे, पेश किया। विचारण न्यायलय ने तथ्यों और साक्ष्यों की समीक्षा के उपरांत निर्धारित किया कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि प्रत्यर्थीगण द्वारा धारावाहिक उनके नियोजन में अभिकर्ता के रूप में निर्मित किया गया था; यह कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि धारावाहिक के शीर्षक के अनन्य रूप से उपयोग के अधिकार के साथ साथ धारावाहिक के सम्पूर्ण अधिकार याचिकाकर्ता के थे; प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 17 के तहत प्रत्यर्थीगण,

धारावाहिक के कॉपीराइट के स्वामी हैं। अपील में, उच्च न्यायालय ने मामले की पुन: समीक्षा करने के उपरांत, विचारण न्यायलय के निष्कर्ष की पुष्टि की।

इस न्यायालय के समक्ष अपील में याचिकाकर्ता का यह तर्क हैं कि धारावाहिक के निर्माण के लिए खर्चे को याचिकाकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से वहन किया गया हैं और वह प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 17 के तहत धारावाहिक के कॉपीराइट तथा शीर्षक के स्वामी हैं।

विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों से, यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता हैं कि प्रत्यर्थीगण उक्त धारावाहिक के निर्माण के उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं के अभिकर्ता नहीं थे। 60 एपिसोड के लिए प्रत्यर्थीगण को भुगतान की गई 76.50 लाख रुपये की कुल राशि निर्माण की लागत की राशि नहीं है, बल्कि धारावाहिक के साथ उनके विज्ञापन को जोड़ने और दूरदर्शन द्वारा परिकल्पित योजना के तहत रियायती दर का पर्याप्त लाभ उठाने के लिए, उक्त धारावाहिक को प्रायोजित करने के लिए निर्धारित मूल्य है। प्रत्यर्थीगण उन याचिकाकर्ताओं को हिसाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं थे जिन्होंने कार्यक्रम को प्रायोजित करने के लिए उन्हें एक निश्चित राशि का भुगतान किया था। यदि खर्च कम थे, तो याचिकाकर्ताओं ने रिफंड नहीं मांगा और लाभ या हानि पूरी तरह से प्रत्यर्थीगण की थी। यह स्पष्ट है कि जो बिल उठाए गए हैं वे केवल ऊपर वर्णित परिस्थितियों से याचिकाकर्ताओं को अनुकूल करने के लिए थे। यह संभव है कि प्रत्यर्थीगण ने इन बिलों को जारी करके याचिकाकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट किया हो क्योंकि बिलों को अलग से नहीं बल्कि आसपास की परिस्थितियों के संदर्भ में पढ़ा जा सकता है। अत: इस संबंध

में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही प्रतीत होता है।[464 - एच; 465-ए, बी, डी]

1.2. साक्ष्य की विवेचना करने पर, अधीनस्थ अदालतें इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ताओं के कहने पर मूल्यवान प्रतिफल के लिए उक्त धारावाहिक नहीं बनाया और तथ्यों के निष्कर्षों के मद्देनजर, धारा 17(बी) और (सी) के तहत धारावाहिक के सम्बन्ध में कॉपीराइट या स्वामित्व का दावा उत्पन्न ही नहीं होगा। [465 - एफ]

2. याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला नहीं बनाया है। यह मामला विशुद्ध रूप से अभिलेख पर साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित है और ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म नहीं देता है जिसका निर्णय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।[463 - डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिताः विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 6779/2000

बॉम्बे उच्च न्यायालय के एस. सी. वाद सं. 493/1986 की प्रथम अपील सं. 759/1990 में निर्णय और आदेश दिनांकित 23.3.2000 से

याचिकाकर्ताओं की ओर से के. एस. कूपर, राज नांगरानी, आर. एन. करंजावाला, सुश्री नंदिनी गोरे, सुश्री.रूबी एस. आहूजा, सुश्री जूली और माणिक करंजावाला।

प्रत्यर्थीगण की ओर से आर. एफ. नरीमन, एम. एम. शखरदंडे, निखिल शखरदंडे, सुश्री मीना गुप्ता, सुश्री अर्पिता शर्मा, श्री उदय गुप्ता, श्री आलोक गुप्ता, सुश्री जया श्रीवास्तव और श्री विनीत कुमार ।

इस न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति श्री राजेंद्र बाबू द्वारा पारित किया गया: विक्को लेबोरेटरीज, यहां अपीलकर्ता, जो आयुर्वेदिक औषधि उत्पादों के निर्माता हैं, के द्वारा बॉम्बे सिटी सिविल न्यायालय में एस सी दावा संख्या 493/1986 प्रत्यर्थी नंबर 1 से 4, यहां प्रत्यर्थीगण के खिलाफ, इस आशय की घोषणा के लिए कि वादग्रस्त धारावाहिक "ये जो है जिंदगी" का शीर्षक और प्रारूप अनन्य रूप से उनका था और प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 4 का उस पर कोई अधिकार नहीं है और इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा के लिए कि उक्त प्रत्यर्थीगण को पाबंद किया जाये कि वह याचिकाकर्ताओं से संबंधित शीर्षक या एपिसोड या उसके बाद बनाए गए किसी भी एपिसोड का उपयोग ना करे, पेश किया गया।

वादपत्र में अंकित इस प्रकरण के सुसंगत तथ्य निम्न प्रकार हैं

याचिकाकर्ताओं ने आयुर्वेदिक औषधि उत्पादों के निर्माताओं के रूप में व्यवसाय किया, जो "विको" ब्रांड नाम के तहत बेचे गए और उन्होंने बाजार में पर्याप्त प्रतिष्ठा हासिल की। प्रत्यर्थी संख्या एक, एक विज्ञापन एजेंसी है और कई वर्षों से याचिकाकर्ताओं द्वारा उपरोक्त निर्मित उत्पादों के संबंध में विज्ञापन अभिकर्ता रहा है। प्रत्यर्थी संख्या दो प्रत्यर्थी संख्या एक का निदेशक और/या भागीदार है और उसने मुख्य रूप से पहले प्रत्यर्थी संख्या एक की ओर से याचिकाकर्ताओं के साथ व्यवहार किया है। प्रत्यर्थी संख्या संख्या 3 और 4 प्रत्यर्थी संख्या 2 के एकल स्वामित्व वाले व्ययसाय हैं। प्रत्यर्थी संख्या पांच

भारत संघ है जिसे दूरदर्शन, जो एक टेलीविजन मीडिया है, के नाम और शैली में भारत में टेलीविजन से संबंधित प्राधिकरण के रूप में शामिल किया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ताओं की सहयोगी कंपनी "मैसर्स मॉडर्न एडवरटाइजिंग एजेंसी" और "यूटा एडवरटाइजिंग एजेंसी" के माध्यम से प्रत्यर्थी नंबर 1 से 4 को अपने विज्ञापन अभिकर्तों के रूप में नियुक्त किया था और वह मुख्य रूप से याचिकाकर्ता के प्रबंध निदेशक जी.के.पेंढारकर. के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ काम कर रहे थे। 1984 में, दूरदर्शन ने प्रायोजित धारावाहिक को लोकप्रिय बनाने के लिए "हमलोग" नाम से एक धारावाहिक का निर्माण किया। याचिकाकर्ता, जो प्रत्यर्थी संख्या एक के अभिकरण से, अपने उत्पादों के विज्ञापन के लिए दूरदर्शन का उपयोग करने में भी अग्रणी हैं, उन्होंने एक धारावाहिक जिसे याचिकाकर्ताओं के प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में दिखाया जाएगा, के निर्माण के उद्देश्य से अपने अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या एक से संपर्क किया। याचिकाकर्ताओं ने उक्त विज्ञापन एजेंसी को उक्त निर्माण की पूरी लागत का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की और उससे इस मामले को देखने, याचिकाकर्ताओं की ओर से विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त करने और उनके लिए एक उपयुक्त धारावाहिक तैयार करने का अनुरोध किया। उक्त व्यवस्था के अनुसरण में, याचिकाकर्ताओं के अभिकर्ता के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 ने याचिकाकर्ताओं की लागत और खर्च पर "ये जो है जिंदगी" नामक एक धारावाहिक तैयार किया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनके प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 को नियोजित करने और उनके द्वारा भुगतान किये जाने के परिणामस्वरूप वह उक्त धारावाहिक "ये जो है जिंदगी" और उसके शीर्षक के मालिक हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने उक्त व्यवस्था के तहत

लगभग 60 एपिसोड का निर्माण किया और याचिकाकर्ताओं ने उक्त एपिसोड के निर्माण और प्रसारण के लिए एक करोड़ रुपये खर्च किए हैं और उक्त कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञापन पर भी बड़ी रकम खर्च की है। "ये जो है जिंदगी" ने लोकप्रियता हासिल की थी और यह सबसे विशिष्ट और लोकप्रिय धारावाहिकों में से एक बन गया था। लेकिन प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ताओं से निर्माण की लागत वसूल की। इसके अलावा उक्त प्रत्यर्थीगण वास्तव में धारावाहिक के एपिसोड के निर्मित होने से पहले ही निर्माण की लागत वसूल कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे उक्त धारावाहिक "ये जो है जिंदगी" के वास्तविक निर्माता और मालिक हैं और प्रतिवादियों की जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने उक्त धारावाहिक में वीडियो अधिकार एक मेसर्स एस्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सर्विसिंग प्राइवेट लिमिटेड को सौंपने के लिए दिनांक 1.1.1985 को एक समझौता किया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि शीर्षक का उपयोग करने का विशेष अधिकार उनका है और "ये जो है जिंदगी" का दूसरा एपिसोड प्रायोजक के रूप में याचिकाकर्ताओं के नाम का उल्लेख किए बिना और उनके विज्ञापन के बिना प्रसारित किया गया था। यह प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 की लापरवाही के कारण था। हालांकि याचिकाकर्ताओं को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने कथित मेसर्स एस्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सर्विसिंग प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त रॉयल्टी के एक हिस्से का प्रत्यर्थी नंबर 1 से 4 को अनुग्रह भुगतान किया। प्रत्यर्थी नंबर 1 से 4 ने अपने पत्र दिनांक 14.12.1984 द्वारा पुष्टि की थी कि याचिकाकर्ताओं के पास उक्त प्रायोजित धारावाहिक के सभी टी वी और वीडियो अधिकार थे और याचिकाकर्ताओं में निहित थे।

हालाँकि मूल समझौता 27 एपिसोड का था, लेकिन कार्यक्रम की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं ने उक्त धारावाहिक को 52

एपिसोड तक बढ़ाने का फैसला किया और दिनांक 22.4.1985 को एक पत्र द्वारा याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को सूचित किया कि 27 वें और 28 वें एपिसोड के शीर्षक में यह अंकित किया गया हैं कि इसे "ओबेरॉय फिल्म्स" द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मई 1985 में किसी समय, प्रत्यर्थी संख्या एक ने याचिकाकर्ताओं को प्रस्ताव दिया कि कुछ अन्य उत्पादों को धारावाहिक "ये जो है जिंदगी" के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वे चाहते थे कि धारावाहिक केवल उनके उत्पादों को अनन्य रूप से पेश करे और वे उक्त धारावाहिक के साथ किसी भी अन्य उत्पाद के जुड़ने से सहमत नहीं थे। 27.12.1985 को प्रत्यर्थीगण ने अभिकथित किया कि उन्हें प्रति एपिसोड 50,000/- रुपये से 75,000/- रुपये का नुकसान हो रहा था और उन्होंने संकेत दिया कि वे एक नया प्रायोजक प्राप्त करना चाहते थे। याचिकाकर्ताओं ने अपने दिनांक 2.1.1986 के पत्र द्वारा प्रथम और द्वितीय प्रत्यर्थी को सूचित किया कि एपिसोड के लिए उत्पादन की लागत बढ़ाना संभव नहीं है और इन परिस्थितियों में, धारावाहिक का निर्माण बंद हो सकता है। यह भी बताया गया कि "ये जो है जिंदगी" नाम "विको लेबोरेटरीज" से जुड़ा है और यदि वे कोई अन्य प्रायोजक प्राप्त करना चाहते हैं तो वे एक अलग नाम के तहत एक नया धारावाहिक बना सकते हैं। याचिकाकर्ताओं को यह आशंका हुयी कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का इरादा तीसरे पक्ष के लिए और उसकी ओर से, पिछले धारावाहिक के समान प्रारूप का उपयोग करके "ये जो है जिंदगी" शीर्षक के तहत आगे के एपिसोड का निर्माण करने का है। याचिकाकर्ताओं ने आदेश II, नियम 2 सीपीसी के तहत क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा।

प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 ने अपने जवाब दावे में मुकदमे का विरोध किया। वाद के मूल्यांकन और न्यायालय के धन-सम्बन्धी क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाने के अलावा उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि याचिकाकर्ता प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 17 के अर्थ के तहत उक्त धारावाहिक में कॉपीराइट के मालिक नहीं हैं और उक्त धारावाहिक के संबंध में कॉपीराइट प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पास है और निहित है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि मुकदमे में वाद हेतुक का अभाव था। मामले के गुणावगुण के सम्बन्ध में उन्होंने अग्रिम तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं और प्रत्यर्थीगण के बीच यह शुरू से सहमति थी कि उक्त धारावाहिक में कॉपीराइट विशेष रूप से प्रत्यर्थीगण के पास रहेगा, न कि याचिकाकर्ताओं के पास। इस कारण प्रत्यर्थीगण का नाम उक्त धारावाहिक के शीर्षक में उसके निर्माता के रूप में उक्त धारावाहिक की शुरुआत से ही दिखाया गया था लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध नहीं किया। उक्त आशय के अनुरूप, सभी प्रासंगिक समयों पर उक्त धारावाहिक का मास्टर कैसेट विशेष रूप से प्रत्यर्थीगण के पास रहा, न कि याचिकाकर्ताओं के पास और याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 1.1.1985, 4.3.1985 और 16.9.1985 के समझौते के तहत मेसर्स एस्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सर्विसिंग प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त रॉयल्टी का 50% प्रत्यर्थीगण को भुगतान किया।। उक्त धारावाहिक को व्यापक प्रचार देने के लिए स्वयं याचिकाकर्ताओं द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में जारी किए गए विज्ञापनों से संकेत मिलता है कि धारावाहिक में उल्लेख किया गया है कि ये प्रत्यर्थीगण उक्त धारावाहिक के संबंध में कॉपीराइट के मालिक हैं और इस संबंध में याचिकाकर्ताओं का दावा किसी भी अधिकार से रहित है। प्रत्यर्थीगण ने यह भी तर्क दिया कि स्वीकार किये बिना, भले ही यह मान लिया जाए, कि याचिकाकर्ता दावा की तारीख तक उक्त धारावाहिक के संबंध में कॉपीराइट के स्वामी हैं, इस तथ्य के मद्देनजर कि यह अधिकार दावा

दायरी से पूर्व उनमे निहित था और उन्होंने प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त अधिकार के प्रयोग को पूर्व में बताये गए अपने आचरण से स्वीकार कर लिया है, वह अब स्वामी नहीं रहे हैं। यह भी तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 एक कलाकार और फिल्म निर्माता है और पिछले 20 वर्षों से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में है। अपने व्यवसाय के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 2 ने फिल्म उद्योग में महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हस्तियों, कलाकारों, तकनीशियनों आदि के साथ संपर्क और संबंध विकसित किए हैं। वर्ष 1967 में, प्रत्यर्थी संख्या 2 की पत्नी श्रीमती सुनंदा एस. ओबेरॉय ने आर्ट कमर्शियल के नाम और शैली में विज्ञापन एजेंसी का एकल स्वामित्व व्यवसाय शुरू किया और प्रत्यर्थी संख्या 2 उक्त फर्म के लिए विभिन्न पदों पर काम करता हैं। वर्ष 1983 में, उक्त मालिकाना फर्म को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया था, जो वर्तमान मुकदमे में प्रत्यर्थी संख्या एक हैं और प्रत्यर्थी संख्या 2 ने प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 को अपनी एकल स्वामित्व फर्म के रूप में गठित किया है। मुकदमा दायर करने से लगभग 18 साल पहले,शुरुआत में प्रत्यर्थीगण, याचिकाकर्ताओं के संपर्क में, ग्राहक के रूप में, ऑल इंडिया रेडियो, थिएटर और फिल्मों और बाद में टेलीविजन पर उनके उत्पादों के विज्ञापन के सिलसिले में आए। इन विज्ञापन-फिल्मों और जिंगल्स ने याचिकाकर्ताओं को अच्छा रिटर्न दिलाया और उनकी बिक्री उनकी अपनी उम्मीदों से भी अधिक बढ़ गई। समय के साथ, प्रत्यर्थी संख्या 2 और याचिकाकर्ताओं के साझेदार, विशेष रूप से जी.के पेंढारकर एक-दूसरे के बहुत करीब आये और बहुत घनिष्ठ संबंध बन गये। 1983 के अंत में या 1984 के आरंभ में, प्रत्यर्थी संख्या 5 ने उक्त दूरदर्शन ने, आंशिक रूप से एक मितव्ययी उपाय के रूप में और आंशिक रूप से नई प्रतिभाओं को उजागर

करने और अवसर प्रदान करने के लिए, अत्यधिक रॉयल्टी के भुगतान पर पेशेवर फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्मों का प्रदर्शन/प्रसारण करने के बजाय विशेष रूप से टीवी पर प्रदर्शनियों के लिए फिल्मों या धारावाहिकों का निर्माण शुरू करने का निर्णय लिया। इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 5 ने अपनी लागत और जिम्मेदारी पर ऐसे धारावाहिकों या फिल्मों का निर्माण करने के लिए निजी निर्माताओं के प्रस्तावों का मनोरंजन/स्वागत करने और/या प्रोत्साहित करने का फैसला किया और उक्त योजना के तहत ऐसे विज्ञापनदाताओं को ऐसी फिल्मों या धारावाहिकों के साथ अपने विज्ञापनों को जोड़ने के लिए ऐसी फिल्मों और/या धारावाहिकों के निर्माताओं के साथ सीधे बातचीत और उनके विज्ञापनों और विज्ञापनों को उनकी फिल्म/धारावाहिक के साथ जोड़ने के लिए देय रॉयल्टी या प्रतिफल पर समझौता करने की आवश्यकता होती है, और उक्त योजना के तहत, ऐसे विज्ञापनों को टीवी पर अपने विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए विज्ञापनों की दरों में अच्छी रियायतें प्रदान की जाती थीं। ऐसी फिल्मों या धारावाहिकों के निर्माताओं को देय रॉयल्टी या प्रतिफल के साथ साथ ऐसे विज्ञापनदाताओं के टीवी पर प्रति प्रसारण में 120 सेकंड के लिए विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए 3,24,000/- रुपये की नियमित दर/शुल्क के विपरीत, प्रासंगिक समय, 120 सेकंड के लिए केवल 35,000/- रुपये की दर से था जो विज्ञापनों की सामान्य दरों और रियायती दरों के बीच के अंतर से बहुत कम था। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने बिना कोई समय गँवाए प्रारंभिक परियोजना कार्य स्वयं ही किया। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने व्यापक अध्ययन और शोध किया और प्रस्तावित धारावाहिक का एक प्रारूप तैयार किया। प्रत्यर्थी संख्या 2 की उक्त टीम ने उनकी निवेदन का जवाब दिया और बढ़ा कष्ट उठाया और उक्त परियोजना में कड़ी मेहनत की और उन्हें प्रस्तावित धारावाहिक का एक विशेष और सरल प्रारूप

प्रस्तुत किया। इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दूरदर्शन के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 5 से उक्त धारावाहिक के निर्माण के प्रस्ताव के साथ संपर्क किया जो उस समय "मुसीबत है" शीर्षक के साथ प्रस्तावित था।उक्त प्रस्ताव के संबंध में दिल्ली में प्रत्यर्थी संख्या 2 और संबंधित अधिकारियों और उत्तरदाताओं के अधिकारियों के बीच कई बैठकों के बाद 19.9.1984 को 52 एपिसोड वाले एक टीवी धारावाहिक का निर्माण करने के लिए एक पायलट [यानी नमूना के रूप में पहला एपिसोड] को, निश्चित रूप से प्रत्यर्थी संख्या 5 के विवेक के अधीन है कि यदि वह निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले फ्लॉप साबित हो जाता है, वह उसे बंद कर दे, मंजूरी दे दी गई। प्रारम्भिक कार्य की पूरी लागत और शीर्षक गीत की अनन्य रूप से प्रत्यर्थीगण द्वारा वहन की गई थी और इस संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा कुछ भी योगदान नहीं दिया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 5 ने प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को उक्त धारावाहिक के निर्माता के रूप में पंजीकृत किया। टीवी अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बाद, प्रत्यर्थी नं. 2 ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या वे अपने विज्ञापनों को उक्त धारावाहिक के साथ जोड़ने में रुचि रखते हैं। याचिकाकर्ता अपने विज्ञापनों को उक्त धारावाहिक के 26 एपिसोड के साथ जोड़ने पर सहमत हुए। याचिकाकर्ता, प्रत्यर्थीगण को अपने विज्ञापनों को उक्त धारावाहिक के साथ जोड़ने के लिए प्रति एपिसोड निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हुए, न कि प्रत्येक एपिसोड के निर्माण की वास्तविक लागत के आधार पर, ताकि यदि निर्माण की लागत उक्त निश्चित राशि से अधिक हो तो प्रत्यर्थीगण को वहन करनी पड़े। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थीगण ने तर्क दिया कि उक्त समझौते में प्रवेश करके, न तो याचिकाकर्ताओं और न ही उत्तरदाताओं ने, एक तरफ

याचिकाकर्ताओं और दूसरी तरफ प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4, के बीच नियोक्ता और कर्मचारी और/या मालिक और नौकर या प्रिंसिपल और अभिकर्ता का न तो कोई संबंध बनाया और न ही उनका कभी इरादा था । न ही पक्षकारों का इरादा था कि प्रत्यर्थीगण को, याचिकाकर्ताओं के लिए या याचिकाकर्ताओं के कहने पर उक्त धारावाहिक का निर्माण करना चाहिए और प्रत्यर्थीगण का इरादा स्वयं उक्त धारावाहिक का निर्माण शुरू करने का था। याचिकाकर्ताओं ने अपने पत्र दिनांक 2.1.1987 द्वारा प्रत्यर्थीगण की मांग को ठुकरा दिया और उत्तरदाताओं को सूचित किया कि यदि उत्तरदाता उक्त धारावाहिक के निर्माण के साथ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने उत्तरदाताओं से केवल यह अनुरोध किया कि उक्त धारावाहिक का शीर्षक "ये जो है जिंदगी" का प्रयोग प्रत्यर्थीगण द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इस बीच, प्रत्यर्थीगण ने तर्क दिया कि मेसर्स ब्रुक बॉन्ड लिमिटेड, जो अपने विज्ञापन को 13 एपिसोड के साथ जोड़ना चाहता था और प्रचलित बाजार मूल्य के भुगतान करने के लिए सहमत हुआ और भुगतान किया। इन आधारों पर, प्रत्यर्थीगण ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं का मुकदमा गलत, दुर्भावनापूर्ण और निराधार है और खारिज किए जाने योग्य है।

प्रत्यर्थीगण ने तर्क दिया कि किसी भी अवसर पर याचिकाकर्ताओं ने निर्माता के रूप में काम नहीं किया और यहां तक कि अनुबंध पर याचिकाकर्ताओं द्वारा एक विज्ञापनदाता के रूप में और प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा एक अनुमोदित अभिकर्ता के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे। उत्तरदाताओं ने दृढ़ता से तर्क दिया कि धारावाहिक "हम लोग" का निर्माण याचिकाकर्ताओं द्वारा मेसर्स कॉन्सेप्ट एडवरटाइजर्स के सहयोग से किया गया था।

विचारण न्यायालय ने 12 विवाद्यक कायम किये और वे इस प्रकार हैं:-

1. "क्या यह साबित हो गया है कि इस न्यायालय के पास इस मुकदमे को सुनने और उसका विचारण करने का धन सम्बन्धी क्षेत्राधिकार नहीं है?

2. क्या वादी साबित करते हैं कि "ये जो है जिंदगी" नामक टीवी धारावाहिक का निर्माण प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 द्वारा उनके अभिकर्ता के रूप में और (उक्त धारावाहिक प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 द्वारा बनाया गया था) वादी के कथानुसार उनके नियोजन के दौरान किया गया था ?

3. क्या वादी यह साबित करते हैं कि शीर्षक का उपयोग करने के विशेष अधिकार को छोड़कर धारावाहिक के संपूर्ण अधिकार, जैसा कि कथित हैं, वादी के हैं?

4. क्या प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को, वाद के साथ प्रदर्शित प्रदर्श ए, बी और ई (कॉली) के मद्देनजर फिल्म "ये जो है जिंदगी" के वादी के स्वामित्व से इनकार करने का अधिकार है?

5. क्या प्रतिवादी यह साबित करते हैं कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 17 के तहत वादी टीवी धारावाहिक/फिल्म, अर्थात "ये जो है जिंदगी" के कॉपीराइट के मालिक नहीं हैं ?

6. क्या प्रतिवादी संख्या 1 से 4 यह साबित करते हैं कि पक्षकार के बीच यह इरादा था कि उक्त फिल्म के संबंध में कॉपीराइट अनन्य रूप से प्रतिवादियों के पास निहित होने चाहिए या स्वामित्व का अधिकार वादी द्वारा त्याग दिया गया था?

7. क्या मुकदमा आवश्यक पक्षों के शामिल न होने से ग्रस्त है?

8. क्या सीपीसी की धारा 80 के तहत नोटिस देने में विफलता के कारण प्रतिवादी नंबर 5 के खिलाफ मुकदमा चलने योग्य नहीं है?

9. क्या वादी मांगी गई घोषणा के हकदार हैं?

10. क्या वादी प्रार्थना के अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा के हकदार हैं?

11. वादी किस राहत, यदि कोई हो, के हकदार हैं?

12. आदेश?"

विचारण न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहा हैं कि टीवी धारावाहिक "ये जो है जिंदगी" का निर्माण जैसा कि दलील दी गई है, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा याचिकाकर्ताओं के अभिकर्ता के रूप में अपने नियोजन के दौरान किया गया था। याचिकाकर्ता यह साबित करने में भी सक्षम नहीं थे जैसा कि दलील दी गई है,कि शीर्षक का उपयोग करने के विशेष अधिकार सहित धारावाहिक के संपूर्ण अधिकार याचिकाकर्ताओं के थे। यह भी माना गया कि वाद के साथ प्रदर्शित प्रदर्श ए, बी और ई (कॉली) के मद्देनजर प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 का फिल्म "ये जो है जिंदगी" के वादी के स्वामित्व से इनकार करने का अधिकार हैं। यह भी माना गया कि प्रतिवादी ने साबित किया कि याचिकाकर्ता टीवी धारावाहिक/फिल्म, जैसे "ये जो है जिंदगी" के कॉपीराइट एक्ट की धारा 17 के तहत कॉपीराइट के मालिक नहीं हैं, और पक्षकारों में मध्य यह आशयित था कि उक्त फिल्म के संबंध में कॉपीराइट अनन्य रूप से प्रतिवादियों के पास निहित होने चाहिए या स्वामित्व का अधिकार वादी द्वारा त्याग दिया गया था। अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की जांच करने

के बाद यह प्रकट हुआ है कि 11.7.1984 को भेजे गए पत्र से पहले भी याचिकाकर्ता धारावाहिक के प्रारूप से परिचित थे, उनका उस तारीख तक वादग्रस्त धारावाहिक से कोई संबंध नहीं था और उन्होंने उसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों पर भरोसा किया था कि "आपसे और श्री जी.के. पेंढारकर से अनुरोध है कि जब प्रस्तावित आधे घंटे के प्रायोजित कार्यक्रम का प्रारूप आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो आप श्री ओबेरॉय और उनकी रचनात्मक टीम से जुड़े "वह पहला अवसर था जब प्रारूप याचिकाकर्ताओं के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यह भी अभिलेख पर था कि याचिकाकर्ताओं के श्री जी.के. पेंढारकर और प्रत्यर्थी संख्या 2 के एक-दूसरे के साथ लंबे समय से संबंध थे और उन्होंने वादग्रस्त धारावाहिक के निर्माण से पहले ही याचिकाकर्ताओं के लिए कई विज्ञापन कार्य किए थे। प्रदर्श जी-1 (जो याचिकाकर्ताओं के संकलन में प्रदर्श 27-ए है) दूरदर्शन के कार्यक्रम नियंत्रक श्री एस.पी अग्रवाल द्वारा आधे घंटे की अवधि का अस्थायी शीर्षक "मुसीबत है" धारावाहिक के प्रस्तावित प्रारूप के संदर्भ में प्रत्यर्थी संख्या 1, मेसर्स आर्ट कॉमर्सिया को लिखा गया एक पत्र है जो दिनांक 13.7.1984 को भेजा गया। चूंकि पत्र मेसर्स आर्ट कॉमर्सिया को संबोधित था जिसमें धारावाहिक के निर्माण के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया गया था और पहले एपिसोड को पूर्वावलोकन और अनुमोदन के लिए भेजा जाना था जो पहले एपिसोड की रिकॉर्डिंग देखने के बाद ही दिया जाएगा। वह पत्र प्रत्यर्थी संख्या 1, मेसर्स आर्ट कॉमर्सिया को संबोधित किया गया था। विचारण न्यायालय ने महसूस किया कि यह याचिकाकर्ताओं को नहीं बल्कि केवल प्रत्यर्थीगण को संबोधित था। विचारण न्यायालय ने प्रदर्श सी-1 पर भी भरोसा किया, जिसमें संकेत दिया गया था कि प्रत्यर्थीगण धारावाहिक के लिए एक प्रारूप जमा कर रहे थे, जिसे क्लाइंट मेसर्स विक्को लेबोरेटरीज की ओर से

पंजीकृत किया जाना था। अधीनस्थ अदालत के विद्वान न्यायाधीश का मानना था कि इस पत्र में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थीगण अपने निर्माताओं की ओर से अपना प्रारूप पंजीकृत करना चाहते हैं जो विज्ञापन के आधुनिक मानदंडों के अनुरूप है। विचारण न्यायालय अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादग्रस्त धारावाहिक के निर्माण पर प्रारंभिक कार्य दिनांक 11.7.1984 से पहले ही शुरू हो चुका था और उस दिन पहली बार याचिकाकर्ताओं को फिल्म पेश की गई थी। इसलिए, यह पाया गया कि किसी भी सुझाव के साथ कोई कॉपीराइट नहीं जुड़ा था, अपितु कॉपीराइट काम से जुड़ा हुआ है और जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि टीवी पर वादग्रस्त धारावाहिक बनाने का विचार न केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 के दिमाग में आया था बल्कि उन्होंने पहले ही इस पर काम शुरू कर दिया था और इसे मंजूरी के लिए दूरदर्शन के पास भेज दिया था। विचारण न्यायालय ने प्रदर्श सी-1, ई-1, एफ-1 पी-1 की जांच के बाद पाया कि प्रस्ताव 52 एपिसोड के लिए था और दूरदर्शन ने इसे स्वीकार कर लिया था, जबकि अपीलकर्ताओं की ओर से जो मामला रखा गया था, वह यह है कि मूल समझौते के अनुसार 27 एपिसोड होने थे और कार्यक्रम की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं ने उक्त धारावाहिक को 52 एपिसोड तक बढ़ाने का फैसला किया। साक्ष्य याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मत के साथ असंगत पाए गए कि वे वादग्रस्त धारावाहिक के निर्माता हैं और, यदि इसे अन्यथा माना जाए, तो प्रत्यर्थीगण के साथ समझौता या व्यवस्था केवल 26 एपिसोड के लिए थी, जबकि प्रायोजन 52 एपिसोड के लिए था। विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के श्री जीके पेंढारकर द्वारा लिखे गए पत्र दिनांक 19.7.1984 (प्रदर्श एफ-1) की विस्तार से जांच की और निष्कर्ष निकाला कि वादपत्र में दिए गए कथनों में कहा गया है कि मूल समझौते में 27 एपिसोड होने

थे, लेकिन लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए धारावाहिक कार्यक्रम के याचिकाकर्ताओं ने उक्त धारावाहिक को 52 एपिसोड तक बढ़ाने का निर्णय लिया। एक अनुबंध (प्रदर्श एच-1) में प्रयुक्त शब्द इस प्रकार हैं:- प्रायोजकों द्वारा निर्मित "ये जो है जिंदगी" नामक 25 मिनट के अवधि के कार्यक्रम का प्रायोजन, जिसमें 2 मिनट निःशुल्क व्यावसायिक समय शामिल है।

इस पत्र पर भरोसा करते हुए "प्रायोजकों द्वारा निर्मित" शब्दों पर जोर दिया गया। क्या दो क्षमताएं "प्रायोजक" और "निर्माता" एक ही व्यक्ति में सह-अस्तित्व में रह सकती हैं या नहीं, इसकी जांच की गई है और विचारण न्यायालय कोर्ट ने कहा कि यह शब्द टैरिफ कार्ड से उधार लिए गए थे और टैरिफ कार्ड ने यह भी संकेत दिया था कि विज्ञापनदाता की क्या श्रेणियां हैं और उसकी दरें क्या हैं। यह माना गया कि "प्रायोजकों द्वारा निर्मित" शब्दों का अर्थ यह नहीं होगा कि प्रायोजक स्वयं उक्त कार्यक्रमों के निर्माता हैं, जैसा कि टैरिफ कार्ड से स्पष्ट है। इसके बाद विचारण न्यायालय ने धारावाहिक के निर्माण के संबंध में किए गए भुगतान की जांच की। इस प्रकार यह पाया गया कि पहले 26 एपिसोड में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रति एपिसोड भुगतान की गई राशि रु. 1,20,000/- थी और प्रत्येक बिल में अभिव्यक्ति "सेवा शुल्क" शामिल थी,जो अपीलकर्ताओं द्वारा कहा गया था कि प्रत्यर्थीगण ने वादग्रस्त धारावाहिक के निर्माण के लिए याचिकाकर्ताओं के अभिकर्ता के रूप में कार्य किया। बिलों के उचित विनिर्माण पर, विचारण न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि ये बिल और भुगतान दर्शाते हैं कि उन्होंने वादग्रस्त धारावाहिक के निर्माण की लागत वहन की थी और इसलिए, वे निर्माता हैं। यद्यपि प्रत्यर्थीगण यादृच्छिक रूप से किसी भी राशि का दावा नहीं कर सकते थे, पर व्यय के संबंध में विवरण

बिलों में शामिल थे और इसलिए यह वादग्रस्त धारावाहिक को प्रायोजित करने के लिए प्रायोजक की कीमत है। कुछ परिस्थितियों पर मजबूत निर्भरता रखी गई थी, जैसे, प्रारूप को याचिकाकर्ताओं द्वारा केवल 11.7.1984 को अनुमोदित किया गया था और पीडब्लू-1 ने स्वीकार किया था कि बिल के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं द्वारा 30.3.1984 को समाप्त वित्तीय वर्ष में अपने खातों में कटौती का दावा करने वाली प्रविष्टि की गई थी, यह राशि सभी 26 एपिसोड के लिए या उसके बाद भी एकमुश्त भुगतान नहीं की जानी थी और 26 एपिसोड के बिल ने याचिकाकर्ताओं को वित्तीय वर्ष 1983-84 में वास्तविक भुगतान के बिना पूरी राशि के लिए कटौती का दावा करने में सक्षम बनाया; कि वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए की गई प्रविष्टि याचिकाकर्ताओं के लिए फायदेमंद थी, कि विज्ञापन व्यय पर कोई सीमा नहीं थी और इसे 1.4.1984 से लागू किया गया था, वादी ने यह दिखाने के लिए खाता बही प्रस्तुत नहीं की कि क्या कटौती के संबंध में है पूरी राशि का दावा किया गया था या नहीं, जबकि उन्हें बार-बार उन्हें पेश करने के लिए कहा गया था। विचारण न्यायालय इतना सचेत था कि इस विवाद में न पड़े कि 31.3.1984 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के दौरान विज्ञापन व्यय को कर से पूरी तरह छूट दी गई थी या उस बिंदु पर 20 प्रतिशत की अस्वीकृति थी और आयकर कटौती के संबंध में निर्णय लिया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह दिखाने के लिए पर्याप्त अन्य सामग्री है कि उक्त बिल पूर्व-दिनांकित था।55 वें एपिसोड से शीर्षक में बदलाव "विक्को लेबोरेटरीज के लिए" पेश किया गया था। उनका तर्क था कि याचिकाकर्ताओं ने विरोध किया था और उसके परिणामस्वरूप यह बदलाव हुआ। 55 वाँ एपिसोड नवंबर के अंत में या दिसंबर 1985 की शुरुआत में प्रसारित किया गया था और इस प्रकार

विरोध और 55 वें एपिसोड के प्रसारण के बीच 7/8 महीने का समय अंतराल था। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि इनके बीच कोई संवाद है। विचारण न्यायालय ने यह भी देखा कि दोनों विज्ञापनों के संबंध में और वादग्रस्त धारावाहिक के संबंध में भी याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यर्थीगण नंबर 5 और 6 को उस राशि का भुगतान किया जो कि अधिकतम राशि थी। इस प्रकार लाभ या हानि प्रत्यर्थीगण की थी और हिसाब देने के दायित्व का तत्व गायब था और इस प्रकार प्रत्यर्थीगण का भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 182 के तहत याचिकाकर्ताओं के अभिकर्ता होने का कोई सवाल ही नहीं था। वादग्रस्त धारावाहिक प्रत्यर्थीगण द्वारा याचिकाकर्ताओं के अभिकर्तों के रूप में प्रस्तुत किया गया, यह झूठा था। मामले में सामने आने वाले तथ्यों से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता कुछ ठोस शुरुआत करने के बाद वादग्रस्त धारावाहिक के निर्माण में शामिल हुए थे, जैसे कि शीर्षक गीत की रिकॉर्डिंग, शीर्षक और वादग्रस्त धारावाहिक का प्रारूप की कल्पना आदि। विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला इस स्थिति में कि दो क्षमताएं "प्रायोजक" और "निर्माता" एक ही व्यक्ति में सह-अस्तित्व में नहीं रह सकतीं। यदि दस्तावेजों की व्याख्या यह की जाती है कि याचिकाकर्ता प्रायोजक के साथ-साथ निर्माता भी हैं तो इससे बेतुके परिणाम सामने आएंगे। इस प्रकार ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे को खारिज करने के लिए प्रत्यर्थीगण की ओर से उठाए गए तर्कों को सही ठहराया।

अपील पर, उच्च न्यायालय ने मामले की फिर से जांच की और न्यायालय के समक्ष रखे गए अभिवचनो, दलीलों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की जांच के बाद निष्कर्ष निकाला कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष उचित हैं। ऐसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने देखा कि अभिवचनों और मौखिक साक्ष्यों में स्वीकृत स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता केवल 26 एपिसोड प्रायोजित करने के

लिए सहमत हुए थे, जबकि प्रत्यर्थीगण ने 52 एपिसोड का निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की थी और इस आशय के लिए दूरदर्शन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता जताई थी। यह परिस्थिति याचिकाकर्ताओं के आदेश पर या उनके अनुरोध पर निर्माण शुरू करने वाले प्रत्यर्थीगण के विरोध में हो जाती हैं। उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं को प्रायोजित कार्यक्रम और 2 मिनट के विज्ञापन को जोड़ने के संबंध में दूरदर्शन योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत हुए कि प्रत्यर्थीगण के कमीशन के तौर पर अपनी आय कम करने और धारावाहिक के निर्माण का जिम्मेदार कार्य करने के लिए सहमत होना असंभव है। यह कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं को कर मामलों में उनकी सुविधा के अनुरूप कुछ बिल दिए गए थे और प्रत्यर्थीगण द्वारा याचिकाकर्ताओं को ऐसा कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया गया था, जब याचिकाकर्ता ने एपिसोड संख्या 27 से 52 तक प्रायोजन का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की थी या नहीं और निर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ताओं को 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुए वर्ष में बिल की पूरी राशि के संबंध में कटौती मिली थी। उच्च न्यायालय ने वादग्रस्त धारावाहिक के शीर्षकों में 'निर्माता' के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 2 का नाम आना और याचिकाकर्ताओं ने विरोध या अन्य आपत्ति के माध्यम से कुछ भी नहीं किया या प्रत्यर्थीगण के भुगतान को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जो सामान्य प्रक्रिया में किया जाना चाहिए था, इस स्थिति पर भी ध्यान दिया और इसलिए, अब याचिकाकर्ताओं द्वारा लिखित विरोध के रूप में जो स्पष्टीकरण दिया गया, उसमें कोई सार नहीं था। याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कि वे शूटिंग में व्यस्त थे, उच्च न्यायालय के लिए ज्यादा महत्व नहीं रखता था। उच्च न्यायालय ने कॉपीराइट अधिनियम की धारा 17 के दायरे की भी जांच की और उसके अवयवों को स्थापित नहीं किया गया, उच्च न्यायालय ने माना कि

कोई भी दावा इसके आधार पर नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत हुआ और अपील खारिज कर दी ।

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस विशेष अनुमति याचिका में, उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए तर्कों को,विशेष रूप से कॉपीराइट अधिनियम की धारा 17 के प्रभाव और क्या अभिलेख पर पत्राचार यह संकेत नहीं देगा कि वे टीवी कार्यक्रम 'ये जो है जिंदगी' के संबंध में स्वामित्व और कॉपीराइट के हकदार थे, दोहराया गया हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने निम्नलिखित दस्तावेजों पर दृढ़ता से भरोसा किया:

1. लागत अनुमान ।
2. निर्माण लागत के बिल ।
3. पत्र दिनांक 14.12.1984 एवं 15.11.1985 ।
4. दूरदर्शन के साथ अनुबंध।
5. एस्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सर्विसिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध।

हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए तर्कों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला बनाया है। यह मामला विशुद्ध रूप से अभिलेख पर साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित है और ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म नहीं देता है जिसका निर्णय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस

न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से यह स्पष्ट है:

1. कि प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ताओं के कहने पर उक्त धारावाहिक का निर्माण नहीं किया है। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के प्रबंध निदेशक जी.के.पेंढारकर को कार्यक्रम का प्रारूप देखने के लिए आने के लिए कहा गया था और याचिकाकर्ता धारावाहिक के प्रारूप से परिचित भी नहीं थे, जबकि उत्तरदाताओं ने पत्र दिनांक 11.7.1984. से पहले इस संबंध में ठोस कदम उठाए थे।

2. यह कि याचिकाकर्ता केवल 26 एपिसोड प्रायोजित करने के लिए सहमत हुए थे, जबकि उत्तरदाताओं ने 52 एपिसोड का निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की थी और दूरदर्शन को इस आशय की दृढ़ प्रतिबद्धता दी थी, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा दूरदर्शन को भेजे गए दिनांक 12.7.1984 के पत्र से स्पष्ट है। इस प्रकार ट्रायल कोर्ट ने ठीक ही कहा कि पक्षों के बीच कोई एजेंसी नहीं थी।

3. प्रत्येक एपिसोड के शीर्षक से संकेत मिलता है कि प्रत्यर्थी नंबर 2 उक्त धारावाहिक का निर्माता है और याचिकाकर्ता केवल प्रायोजक हैं। 22.4.1985 को जितनी देरी हो सकती थी, याचिकाकर्ताओं ने एपिसोड में शीर्षकों के संबंध में इस प्रदर्शन पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। हालाँकि, शीर्षकों में श्री एसएसबेरॉय को धारावाहिक के निर्माता के रूप में दिखाया जाना जारी रहा और याचिकाकर्ताओं ने भुगतान नहीं रोका।

4. कि अधीनस्थ अदालतों ने याचिकाकर्ताओं के इस दावे को खारिज कर दिया है कि दिनांक 19.3.1984 का बिल इस तथ्य को स्थापित करता है

कि याचिकाकर्ताओं के आदेश पर प्रत्यर्थीगण द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया गया था। यह साबित हो चुका है कि उक्त बिल पूर्व-दिनांकित था और जाहिर तौर पर जुलाई, 1984 में प्रत्यर्थीगण द्वारा याचिकाकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उनके द्वारा कर रियायतें प्राप्त करने के लिए उठाया गया था।

5. दूरदर्शन, जिसे एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया है, ने अपने जवाब दावे में कहा कि वे प्रत्यर्थीगण को उक्त धारावाहिक के निर्माता के रूप में पहचानते हैं और याचिकाकर्ताओं को केवल प्रायोजक के रूप में मान्यता देते हैं।

6. श्री एस.एस.गिल की साक्ष्य, जिन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से साक्ष्य दी हैं कि वह श्री पेंढारकर से परिचित नहीं थे और दूरदर्शन का याचिकाकर्ताओं के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था, बल्कि निर्माता या निदेशक के रूप में केवल प्रत्यर्थीगण के साथ था,अखंडित रही। अपने आगे के साक्ष्य में, श्री गिल ने कहा कि मई/जून, 1984 के महीने में किसी समय उनकी मुलाकात कुंदन शाह से हुई थी और उन्होंने दूरदर्शन के लिए एक कॉमेडी धारावाहिक बनाने का अनुरोध किया था, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता था कि यह केवल प्रत्यर्थीगण ही थे जो दूरदर्शन के साथ काम कर रहे थे।

7. कि दिनांक 14.12.1984 और 15.11.1985 के पत्रों के अनुसार वीडियो अधिकार प्रत्यर्थीगण द्वारा एस्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सर्विसिंग प्राइवेट लिमिटेड को सौंपे गए थे और वीडियो अधिकार के लिए रॉयल्टी प्राप्त की थी और मूल यू-मैटिक कैसेट एस्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सर्विसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उनकी संपत्ति के रूप में उन्हें वापस कर दिए गए थे।

8. उपरोक्त पत्रों में प्रत्यर्थीगण द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अधिकारों का कोई हस्तांतरण नहीं किया गया था और उक्त पत्रों को जारी करने के लिए प्रत्यर्थीगण को कोई भी भुगतान नहीं किया गया था, जिसका कोई कानूनी परिणाम नहीं है और यह याचिकाकर्ताओं को दिनांक 19.10.1985 को एस्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सर्विसिंग प्राइवेट लिमिटेड से पत्र प्राप्त होने के बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रत्यर्थीगण से इस संबंध में एक और पत्र जारी करने के लिए कहा गया था।

इस प्रकार अभिवचनों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि प्रत्यर्थीगण उक्त धारावाहिक के निर्माण के उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं के अभिकर्ता नहीं थे। 60 एपिसोड के लिए प्रत्यर्थीगण को भुगतान की गई 76.50 लाख रुपये की कुल राशि निर्माण की लागत की राशि नहीं है, बल्कि धारावाहिक के साथ उनके विज्ञापन को जोड़ने और दूरदर्शन द्वारा परिकल्पित योजना के तहत रियायती दर का पर्याप्त लाभ उठाने के लिए, उक्त धारावाहिक को प्रायोजित करने के लिए निर्धारित मूल्य है। प्रत्यर्थीगण उन याचिकाकर्ताओं को हिसाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं थे जिन्होंने कार्यक्रम को प्रायोजित करने के लिए उन्हें एक निश्चित राशि का भुगतान किया था। यदि खर्च कम थे, तो याचिकाकर्ताओं ने रिफंड नहीं मांगा और लाभ या हानि पूरी तरह से प्रत्यर्थीगण की थी। यह स्पष्ट है कि जो बिल उठाए गए हैं वे केवल ऊपर वर्णित परिस्थितियों से याचिकाकर्ताओं को अनुकूल करने के लिए थे। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आयकर अधिनियम, 1961 और प्रावधानों का विस्तृत संदर्भ दिया कि क्या विभिन्न चरणों में व्यावसायिक आय की गणना से संबंधित प्रावधानों में किए गए संशोधन के अनुसार इस तरह का लाभ लिया जा सकता है या नहीं, वह वर्तमान मामले में बहुत सार्थक नहीं हो सकते। यह संभव है कि प्रत्यर्थीगण ने इन बिलों को जारी करके याचिकाकर्ताओं

के प्रति आभार प्रकट किया हो क्योंकि बिलों को अलग से नहीं बल्कि आसपास की परिस्थितियों के संदर्भ में पढ़ा जा सकता है। अत: इस संबंध में निचले न्यायालयों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही प्रतीत होता है।

जहां तक कॉपीराइट अधिनियम की धारा 17 के आधार पर उठाए गए तर्कों का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में सक्षम नहीं थे कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 4 ने उक्त धारावाहिक का निर्माण (1) याचिकाकर्ता के अभिकर्ता के रूप में (2) याचिकाकर्ताओं के साथ उनके नियोजन के दौरान; (3) याचिकाकर्ताओं द्वारा उन्हें दिए गए मूल्यवान प्रतिफल के लिए; और (iv) याचिकाकर्ताओं के कहने पर किया था । जब ये कारक स्थापित नहीं किए गए थे और मुकदमा स्वयं कॉपीराइट अधिनियम की धारा 17 की व्याख्या पर निर्भर नहीं है , तो अभिवचन और उठाए गए मुद्दे इसको आकर्षित नहीं करते। साक्ष्य की विवेचना करने पर, नीचे की अदालतें इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ताओं के कहने पर मूल्यवान प्रतिफल के लिए उक्त धारावाहिक नहीं बनाया और तथ्यों के निष्कर्षों के मद्देनजर, धारा 17(बी) और (सी) के तहत धारावाहिक के सम्बन्ध में कॉपीराइट या स्वामित्व का दावा उत्पन्न ही नहीं होगा।

इस प्रकार हमें इस याचिका में बिल्कुल कोई योग्यता नहीं दिखती। हम विचारण न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं। इसलिए, याचिका खारिज की जाती है। कोई खर्चा नहीं

बी.एस. याचिका ख़ारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हिमानी जैन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा |